न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

राजेन्द्र सिंह बनाम महावीर प्रसाद

किस्म मुकदमा .... मु. नं0 .... वर्ष 26/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26.7.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6.11.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।	तहरीर जारी 3041 26.07.2023 LC पत्रावली 14/2017 संलग्न
6.11.23	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 30.11.23 को पेश हो।	
30.11.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है, इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 12.2.24 को पेश हों।	
12.2.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज SO कार्य पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29.4.24 को पेश हो।	
29.4.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट एवं अपीलाट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलाट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर